

| आदेश<br>की क्रम<br>सं० एवं<br>तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आदेश पर की<br>गई कारवाई व<br>बारे में टिप्पणी<br>तारीख सहित |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 23/11/23                            | <p><u>न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।</u></p> <p><u>एस०ए०आर०वाद सं०-81/2010-11</u></p> <p>अजय कच्छप .....आवेदक।</p> <p>बनाम</p> <p>(1) प्रदीप कुमार लोहिया<br/>(2) सुशील कुमार लोहिया.....विपक्षीगण।</p> <p>—: <u>आदेश</u> :—</p> <p>आवेदक—अजय कच्छप, पिता—स्व० पंचु उराँव, निवास ग्राम—चडरी, थाना—लोअर बाजार, जिला—राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71”A” के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक अजय कच्छप की मृत्यु हो गई है, इनके स्थान पर उनकी पत्नी लाली कच्छप को दिनांक—22.05.2023 को पक्षकार बनाया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी भूमि—मौजा चडरी, थाना नं०—199, खाता नं०—04, प्लॉट नं०—1714, रकबा—08 कट्टा भूमि विपक्षीगण (1) प्रदीप कुमार लोहिया, (2) सुशील कुमार लोहिया, दोनों के पिता—राम गोपाल लोहिया, सभी निवास स्थान—चडरी, थाना—कोतवाली, जिला—राँची द्वारा छल—प्रपंच से हड़पकर देखल कर लिया है।</p> <p>आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन एम०एस०खतियान में एतवा उराँव वल्द भदरू उराँव के नाम से दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल—प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।</p> <p>इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।</p> <p>आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि उपरोक्त विवादित भूमि की एम०एस०खतियान में एतवा उराँव के नाम से दर्ज है।</p> |                                                             |

Mi-23/11/23

कृ०पृ०उल्टे

खतियानी रैयत एतवा उराँव अपने पुत्र स्व. सुकरा उराँव को छोड़ गये है। स्व. सुकरा उराँव भी अपने पुत्र स्व. पंचु कच्छप (उराँव) को छोड़ गये है।

पंचु कच्छप (उराँव) भी अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः—(1) राजेन्द्र कच्छप (2) संजय कच्छप (3) अजय कच्छप (आवेदक) को छोड़ गये। वर्णित भूमि खतियानी रैयत के वंशज के होने के नाते आवेदक की हिस्से वो अधिकार की भूमि है। आवेदक अजय कच्छप की मृत्यु हो गयी है, आवेदक की मृत्यु के पश्चात आवेदक पत्नी—लाली कच्छप ने उक्त वाद में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया। लाली कच्छप ने वर्णित भूमि को भू-वापसी का आदेश करने का अनुरोध किया। अतः जमीन को वापस किया जाए।

विपक्षीगण (1) सुशील कुमार लोहिया (2) प्रदीप कुमार लोहिया ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि वर्णित भूमि 1934 में छप्परबंदी में है। छप्परबंदी के बाद भूमि 1944 में निबंधन कर दिया गया। पुनः 1951 में भी निबंधन किया गया। प्रदीप कुमार लोहिया की मृत्यु के पश्चात् इनके उत्तराधिकारी (1) श्रीमती अलका देवी (2) चंचल सिंघानिया (3) अंचल लोहिया वो (4) रूपेश लोहिया को प्रतिस्थानी बनाने का अनुरोध किया, और इन्होंने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि मौजा—चडरी, खाता नं०—04, म्यूनिसिपल खेसरा संख्या—1714 आर०एस०खेसरा संख्या—16 रकवा 08 कट्ठा पर पूर्व में एस०ए०आर० वाद संख्या—268/05-06 दायर कर विपक्षी मदन साव वगैरह के कब्जे में दिखाते हुए वापसी की मांग की गई थी। जबकि वास्तव में मदन साव वगैरह के कब्जे में मात्र 28 कट्ठा भूमि और शेष 08 कट्ठा भूमि विपक्षी सुशील कुमार लोहिया वगैरह के कब्जे में है। उक्त वाद को खारिज होने के बाद माननीय उपायुक्त, राँची के न्यायालय में अपील वाद सं०—86 आर15/2022-23 दाखिल किया गया। इस अपील वाद में आदेश दिनांक—12.07.2023 में अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए एस०ए०आर० वाद—268/2005-06 के आदेश दिनांक—11.03.2022 को बहाल रखा गया। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के जमीन वापसी पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागु नहीं होता है। अतः यह उक्त आधार पर चलने योग्य नहीं है। आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए विपक्षी को न्याय दिया जाए।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर इस वाद को आदेश पर रखा गया। उभय पक्षों के अभिलेख में संलग्न कागजातों के

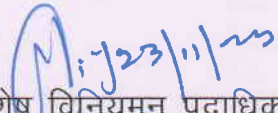
*(Handwritten signature)*

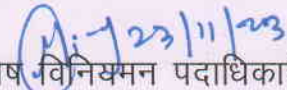
अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि एम.एस.खतियान में एतवा उराँव के नाम से दर्ज हैं। आवेदक खतियानी रैयत के वंश में आते हैं। विपक्षीगण का कहना है कि S.A.R. वाद सं०-268/2005-06 तथा अपील वाद सं०-86 आर15/2022-23 में उनके पक्ष में आदेश किया जा चुका है।

चूँकि पत्रांक-231(ii) दिनांक-09.11.2023 के द्वारा S.A.R. वाद सं०-268/2005-06 को न्यायालय, आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची में भेजा गया है तथा वर्तमान में यह रिविजन वाद लंबित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद में कोई भी आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश पारित किये बिना इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
विशेष विनियमन पदाधिकारी,  
राँची।

  
विशेष विनियमन पदाधिकारी,  
राँची।